<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्याः2/642/तीन-2014-25(4)/2014</u>

प्रेषक,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊः: दिनांकः: 01 अगस्त, 2014

विषयः स्व-प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन अनुभाग के पत्र संख्या-सी0एम0-109/तीन-2014-25(4)/2014, दिनांक 26 जून, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ऐसी विभिन्न शासकीय सेवायें, जिन्हें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्नक के रूप में शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य है, के स्थान पर आवेदक का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र स्वीकार किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग से संबंधित ऐसी सेवायें, जिन्हें प्राप्त करने हेतु आवेदक से शपथ पत्र लिये जाने की व्यवस्था विभाग में रही है, को चिन्हित कर उसकी सूची अधोहस्ताक्षरी एवं सामान्य प्रशासन विभाग को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराते हुए उपरोक्तानुसार चिन्हित की गयी सेवाओं के संबंध में आवेदक से शपथ पत्र के स्थान पर केवल स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र स्वीकार करने के संबंध में समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

3- इसके अतिरिक्त अपने विभाग से संबंधित ऐसे मामलों की सूची भी बना ली जाए, जहा किसी अधिनियम या अधिनियम के तहत बनायी गयी नियमावली के अन्तर्गत अथवा मा0 न्यायालय के आदेशानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता हो। शपथ पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता वाले उक्तानुसार चिन्हित किये गये ऐसे मामलों में शपथ पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त किये जाने हेतु परीक्षण कर कार्यवाही प्रारम्भ कर कृत कार्यवाही की सूचना भी अधोहस्ताक्षरी एवं सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दी जाये।

4- प्रकरण के संबध में 15 दिवस के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। अतः कृपया प्रकरण में समयबद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

भवदीय,

आलोक रंजन

मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in